

नोटिस**विषय : फार्म मिसिंग के सम्बन्ध में**

केन्द्रीय बिक्रीकर, उत्तर प्रदेश नियमावली, 1957 के नियम -8 के उपनियम - (13) के प्राविधानों के अंतर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यापारी जिन्हें निम्न क्रमांक के फार्म-सी, वाणिज्य कर कार्यालय से जारी किये गये थे अथवा ऐसे व्यापारी को क्रेता व्यापारियों से भरे हुए प्राप्त हुए थे, खो जाने / नष्ट हो जाने अथवा चोरी हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुयी है। किसी भी व्यापारी द्वारा इसका प्रयोग अवैध होगा:-

क्र० सं०	व्यापारी / फर्म का नाम व पता	फार्म का प्रकार/ संख्या	अवैध घोषित होने का कारण	संख्या
1-	सर्वश्री नाज ट्रेडर्स, बी-5, करीम प्लाजा, अपोजिट झण्डेवाला पार्क, टैक्सी स्टैण्ड अमीनाबाद, लखनऊ।	फार्म- 'सी' संख्या-- 93--1331896	खोने के कारण	01
02	सर्वश्री जामनगर हार्डवेयर , ई-24, सै0-9, नोएडा।	फार्म- 'सी' संख्या- 1189915 से 1189916 तक	खोने के कारण	02
03	सर्वश्री नवशिखा पालीपैक इण्डस्ट्रीज , प्रा0लि0, एच-106, सै0-9, नोएडा।	फार्म- 'सी' संख्या- 0615728, 0615731, 0615732,	खोने के कारण	03
04	सर्वश्री सुनील मार्केटिंग, 541-बी , वी0 ई0पी0 रोड, नासिरपुर, फतेहपुर।	फार्म- 'सी' संख्या- 17445662	खोने के कारण	01
05	ज्वाइण्ट कमिशनर (कार्य पालक) वाणिज्य कर, मथुरा सम्भाग, मथुरा। पत्रांक -2369 दिनांक 29-9-09 द्वारा प्राप्त	फार्म- 'सी' संख्या- 0466001	प्रेस से ही छपकर नहीं आया है।	01
06	सर्वश्री रायल लुक एक्विजम नगर पालिका के सामने, बुलन्दशहर।	फार्म- 'सी' संख्या- 2349735	स्कूटर से गिर जाने के कारण	01
07	सर्वश्री उजाला ट्रेडर्स , आलापुर, बाराबंकी।	फार्म- 'सी' संख्या- 062141	खोने के कारण	01

ह0-

(यू0सी0 दीक्षित)

एडीशनल कमिशनर (विधि)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं० एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अधीक्षण मुद्रण लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा गजट की प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्राप्त कराने का कष्ट करें
- 2- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ।

- 3- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, 30प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- 4- समस्त आयुक्त व्यापार कर/ वैट/ वाणिज्य कर / आबकारी एवं कराधान आयुक्त, भारत सरकार के सभी राज्य एवं केन्द्र शासित संघों को।
- 5- महालेखाकार, 30प्र0 171-ए-अशोक नगर, इलाहाबाद।
- 6- समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1 वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगाये तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 7- समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगाये तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 8- समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (वि0 नु0शा0/अपील)वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त डिप्टी कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 10- ज्वाइन्ट कमिशनर (उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर इलाहाबाद, लखनऊ।
- 11- समस्त असिस्टेन्ट कमिशनर /वाणिज्य कर अधिकारी चाहें जिस कार्य में लगे हों।
- 12- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय।
- 13- सूचना केन्द्र को 5 अतिरिक्त प्रतियाँ।
- 14- मैनुअल अनुभाग वाणिज्य कर मुख्यालय को 5 प्रतियाँ एवं विधि अनुभाग को 15 अतिरिक्त प्रतियाँ।

ह0-

(सुशील कुमार दुबे)

असिस्टेन्ट कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर, मुख्यालय।